

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2204 / 2015 / भीलवाड़ा.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वकर्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स राजेन्द्र कुमार खलिया, संजय कॉलोनी, भीलवाड़ा.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक
श्री धर्मदेव छेवड़िया, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.
.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 02 / 08 / 2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 80 / वेट / 14-15 में पारित किये गये आदेश दिनांक 21.07.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वकर्स एण्ड लीजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009-10 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 29.12.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 2009-10 का कर निर्धारण दिनांक 30.12.2011 को किया जाकर उसमें रूपये 5,50,193/- की किराये की प्राप्तियों पर रूपये 22,008/- का कर आरोपित किया गया था जिसके विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा यह अवधारित किया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा जे.सी.बी., ट्रेक्टर एवं मजदूर सप्लाई का कार्य नगर परिषद भीलवाड़ा में किया गया था उसमें जे.सी.बी. एवं ट्रेक्टर प्रति घण्टे एवं प्रतिदिन किराये पर दिया गया था परन्तु दी गयी मशीनों पर सम्पूर्ण नियंत्रण व्यवसायी का था अतः इसे लीज की परिभाषा में सम्मिलित योग्य नहीं मानकर इसपर किया गया करारोपण अपारत किया गया जिससे व्यक्ति होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

 लगातार.....2

3. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय आदेश विधिसम्मत नहीं है एवं प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जो मशीनें नगर परिषद में कार्य में लेने हेतु लीज पर दी गयी थी, उस पर किया गया करारोपण विधिसम्मत था।

4. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी को प्राप्त कार्यादेश में जे.सी.बी. ट्रेक्टर मय ट्रॉली व मजदूर सप्लाई का कार्य दिया था वह लेबर कार्य है अथवा जे.सी.बी. एवं ट्रेक्टर को रेट कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जाना "लीज" पर दिये जाने का कार्य माने जाने का विवाद अन्तर्निहित था। इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी भी तरह का विवेचन किये बिना सीधे जे.सी.बी. एवं ट्रेक्टर ट्रॉली के उपयोग के लिये प्राप्तियों पर लीजिंग टैक्स आरोपित किया गया है जिसके विरुद्ध अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा यह अवधारित किया गया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जे.सी.बी. एवं ट्रेक्टर ट्रॉली के उपयोग हेतु जो सप्लाई कार्य नगर परिषद को किया गया था उसमें प्रति घण्टे के हिसाब से मजदूरी ली गयी थी तथा जे.सी.बी. एवं ट्रेक्टर पर झाईवर प्रत्यर्थी व्यवहारी के थे एवं नियंत्रण भी प्रत्यर्थी व्यवहारी का ही था ऐसी स्थिति में यह कार्य मशीनों को लीज पर देने का नहीं था एवं इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम शंकर गैस लाईट हाउस (37 टैक्स अपडेट 46) का हवाला देते हुए निर्णय में कर दायित्व नहीं होना अवधारित किया गया है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जे.सी.बी. एवं ट्रेक्टर के संचालन का समस्त खर्च स्वयं द्वारा किया गया था एवं उन वाहनों पर ऑपरेटर्स भी स्वयं प्रत्यर्थी के ही थे ऐसी स्थिति में उन पर अवार्डर का कोई नियंत्रण नहीं होने से मशीनरी का कोई स्थानान्तरण अवार्डर को नहीं होता है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय 145 एस.टी.सी. 226 के अनुसार यह लीज की परिभाषा में सम्मिलित योग्य नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में लीज के सम्बन्ध में निम्न अवधारणा अंकित की हुई है :—


"98. To constitute a transaction for the transfer of the right to use the goods the transaction must have the following attributes :

(a) There must be goods available for delivery;

(b) There must be a consensus *ad idem* as to the identity of the goods;

लगातार.....3

- (c) The transferee should have a legal right to use the goods- consequently all legal consequences of such use including any permissions or licences required therefore should be available to the transferee.
- (d) For the period during which the transferee has such legal right, it has to be the exclusion to the transferor- this is the necessary concomitant of the plain language of the statute-viz., a "transfer of the right to use" and not merely a licence to use the goods;
- (e) having transferred the right to use the goods during the period for which it is to be transferred, the owner cannot again transfer the same rights to others."
7. फलतः प्रत्यर्थी व्यवहारी पर आरोपित कर को अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की जाने से राजस्व की अपील खारिज की जाती है।
8. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य